[28/12/2020]

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क. 399]

मध्यप्रदेश सिविल सेवा

(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

*(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायगा.

7. **भरती का तरीका.**—किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) सीधी भरती द्वारा,
(दो) पदोन्नति द्वारा,
(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

8. **परिवीक्षा.**—(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणत: ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

**टिप्पणी विलोपित :

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेगी.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 द्वारा जोड़ा गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-10-96 में प्रकाशित हुआ है.

**टिप्पणी :—(सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 द्वारा विलोपित की गई है).

उपनियम (2) की टिप्पणी निम्नानुसार थी :—

टिप्पणी.—ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसकी परिवीक्षा अवधि इस उप नियम के अधीन बढ़ाई न गई हो, किन्तु जिसे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् न तो सेवा में स्थायी ही किया गया हो और न ही सेवा मुक्त किया गया हो, इस शर्त के अध्यधीन सेवा में रखा गया समझा जायेगा कि उसकी सेवा किसी भी पक्ष द्वारा दी गई एक अंग्रेजी माह की लिखित सूचना की अवधि व्यतीत होने पर समाप्त की जा सकेगी.